पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

समक्ष:- श्री प्रमोद कोहली, ज.

2010 का सीडब्ल्यूपी नंबर 2914

डी/डी 11.8.2010.

ईएचसी वीरेंद्र सिंह - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए:- एसके रेढू, श्री विक्रम सिंह, श्री एसएन यादव, श्री दिनेश मलिक, श्री प्रीतम सैनी, श्री सुरेंद्र लांबा और श्री आरपी सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए:- श्री आर.एस. कुंडू, अतिरिक्त एजी, हरियाणा।

निर्णय

परमोद कोहली, ज. - तथ्यों और कानून दोनों पर सामान्य और समान मुद्दों के आधार पर, इन सभी याचिकाओं का निर्णय इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. संपूर्ण विवाद पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 13.7 की व्याख्या से संबंधित है, जो हरियाणा राज्य पर लागू है और पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2001 (इसके बाद इसे "नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से संशोधित किया गया है। यह नियम लोअर स्कूल कोर्स के लिए प्रतिनियुक्ति और उनकी पदोन्नति के लिए योग्य अधिकारियों को सूची बी-1 में सूचीबद्ध करने से संबंधित है। संशोधित नियम, वर्तमान रिट याचिकाओं में बहस का विषय, यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"13.7 - पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन - (1) सूची बी (फॉर्म 13.7 में) प्रत्येक पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाए रखा जाएगा। इसमें निचले स्कूल में प्रवेश के लिए चुने गए सभी कांस्टेबलों के नाम शामिल होंगे पाठ्यक्रम पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। सूची बी के लिए चयन प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में किया जाएगा और यह वर्ष के लिए जिले को आवंटित सीटों की संख्या तक सीमित होगा। लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या एक वर्ष में मौजूदा रिक्तियों और संबंधित इकाई में एक वर्ष के भीतर सृजित होने वाली संभावित रिक्तियों के आधार पर होगा। लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में एक इकाई को आवंटित सीटों में से 55% सीटें प्रतिस्पर्धी के आधार पर भरी जाएंगी परीक्षा, वरिष्ठता सह-फिटनेस के आधार पर 35% और नौकरी में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन/अखिल भारतीय पुलिस खेलों/ड्यूटी मीट/राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण या रजत पदक प्राप्त करने या पाठ्यक्रम के दौरान बहादुरी के असाधारण प्रदर्शन के आधार पर 10% और योग्यता के आधार पर सूची/निचले विद्यालय में 55% सीटों के विरुद्ध व्यक्तियों का चयन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।

1.सेवाओं की जांच और

2.एक प्रतियोगी परीक्षा (इसके बाद इसे बी-1 परीक्षण कहा जाएगा):

ए) परेड;

ऐ) कानून और व्यावहारिक पुलिस कार्य; और

3. एक साक्षात्कार

2. (i) सभी कांस्टेबल चाहे वे किसी शैक्षिक योग्यता के हों, बी-1 टेंट के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे, यदि उनकी आयु 35 वर्ष से कम है और जिस वर्ष चयन किया गया है, उस वर्ष के जनवरी के 1 दिन को 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। हालाँकि, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई कांस्टेबल सरकारी निर्देशों/ आदेशों के अनुसार 27 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भर्ती होता है, तो उसे पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद लगातार कम से कम तीन अवसरों के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, भले ही वह सीमा पार कर चुका हो, अगर आयु 35 वर्ष से न्यूनतम 10 वर्ष तक हो।

(ii) सभी कांस्टेबल, चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता कुछ भी हो, सूची बी-1, वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर लाने के पात्र होंगे यदि उनकी आयु 40 वर्ष से कम है और उन्होंने जनवरी के पहले दिन 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। वह वर्ष जिसमें चयन किया गया है।"

3. हरियाणा राज्य ने नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों के आधार पर वरिष्ठता सह-फिटनेस के मानदंडों को पूरा करने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करते हुए दिनांक 13.02.2007 को निर्देश जारी किए, 2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7952 ने निर्णय 05.11.2004 को लिया । पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने 35% कोटा के तहत बीआई सूची में चयन के लिए न्यूनतम बेंच अंक निर्धारित करते हुए ये निर्देश जारी किए। 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 6427 में दिनांक 13.02.2007 (अनुलग्नक पी-7) के निर्देशों का प्रासंगिक उद्धरण यहां नीचे दिया गया है:-

"3. नरेश कुमार मामले (सुप्रा) में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, 35% वरिष्ठता-सह-फिटनेस कोटा के तहत फिटनेस के लिए बेंच मार्क्स तय करने का निर्णय लिया

गया है। सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाना चाहिए पीपीआर 13.7 में दिए गए अनुसार शिक्षा, उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रशस्ति प्रमाण पत्र और सेवा की लंबाई आदि के आधार पर बनाया गया है। न्यूनतम 31 अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को 35% कोटा के मुकाबले बी-1 सीटों के चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। उम्मीदवारों की पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर और ऐसे सभी उम्मीदवारों के लिए पारस्परिक वरिष्ठता उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के मद्देनजर 35% कोटा के तहत उनकी बारी पर प्रतिनियुक्ति का एकमात्र मानदंड होगा। कृपया आगे आवश्यक कदम उठाएं तदनुसार कार्रवाई।"

इन निर्देशों की वैधता को हवा सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। 2005 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1194 पर 14.05.2008 को निर्णय लिया गया।

4. रिट याचिकाओं के तीन सेट विचाराधीन हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है:

a)नियम 13.7 (2)(i) के तहत 55% योग्यता पदोन्नति कोटा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की पात्रता को नियम 13.7 (2) (ii) भले ही वे 55% कोटा के तहत असफल हो गए हों, के तहत वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर 35% के तहत पदोन्नति के लिए माना जाएगा;

b) उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन 35 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवारों पर विचार, जिसमें वरिष्ठता-सह-योग्यता के 35% कोटा में चयन किया जाता है;

c) दिनांक 13.02.2007 के डीजीपी के निर्देशों के अनुसार बेंच मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता।

नियम 13.7(1) को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है:

(a) वह 55% लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में एक इकाई को आवंटित सीटें प्रतिस्पर्धी परीक्षा के आधार पर भरी जानी हैं;

(b) वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर 35% सीटें; और

(c) नौकरी/खेल आदि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 10% सीटें।

55% कोटा के विरुद्ध चयन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाना है। वे सभी कांस्टेबल, चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता कुछ भी हो, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है और जिन्होंने चयन वर्ष के 1 जनवरी को 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे 55% कोटा की मेरिट सीटों के तहत बी-1 परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं।

इसी प्रकार, सभी कांस्टेबल, चाहे उनकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो, उन्होंने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है और चयन के वर्ष की पहली जनवरी को 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे आधार पर सूची बी-1 में लाने के पात्र हैं। 35% कोटा के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता।

उपरोक्त दो श्रेणियों में निर्धारित पात्रता के अधीन 10% कोटा के तहत खिलाड़ियों पर अलग से विचार किया जाएगा।

5. 55% कोटे के तहत प्रतिस्पर्धी परीक्षा में अपेक्षित योग्यता हासिल करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित विवाद पर फिर से 35% वरिष्ठता-कमरिट कोटा के तहत विचार किया जाएगा, नरेश कुमार प्रथम मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया था। डिवीजन बेंच के इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 10409/2005 में चुनौती दी गई थी, जिसे 10.05.2005 को खारिज कर दिया गया है।

6. ऐसा ही एक मामला सामने आया, हवा सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए, 2005 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1194 का निर्णय 14.05.2008 को हुआ। माननीय डिवीजन बेंच द्वारा रिट याचिका स्वीकार करने के बाद, इस मामले पर 29.11.2006 को अंतिम निपटान के लिए इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि नियमों के नियम 13.7 के कुछ प्रावधानों को डिवीजन बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया था और उस आधार पर। इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा रिट याचिका और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए एक संदर्भ दिया गया था। उपरोक्त रिट याचिका पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। माननीय डिवीजन बेंच ने अपने फैसले दिनांक 14.05.2008 द्वारा, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नरेश कुमार के मामले (सुप्रा) में अनुपात की पुष्टि की: -

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इन रिट याचिकाओं को उन्हीं शर्तों के तहत स्वीकार किया जाता है। नरेश कुमार का मामला (सुप्रा)। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता(ओं) को पहले लोअर स्कूल कोर्स में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है, जो इस मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद शुरू

होगा। हालाँकि, याचिकाकर्ता ऐसा करेगा। लोअर स्कूल कोर्स में उस तिथि से अर्हता प्राप्त मानी जाएगी जब अन्य कांस्टेबल अर्हता प्राप्त करेंगे, जिनके नाम चयन सूची अनुलग्नक पी-1 के तहत लोअर स्कूल कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए अनुमोदित किए गए थे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की पूर्वव्यापी तिथि प्राप्त करके, याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, तो उसे "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत के मद्देनजर कोई वास्तविक वित्तीय लाभ प्राप्त किए बिना केवल समझा गया लाभ मिलेगा। भारत संघ और अन्य बनाम तरसेम लाल और अन्य, 2006(4) एससीटी 355: (2006) 10 सर्वोच्च न्यायालय मामले, 145 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा निर्धारित किया गया।"

माननीय डिवीजन बेंच ने दिनांक 13.02.2007 के निर्देशों की वैधता पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इसकी वैधता को बरकरार रखा:

> "जहां तक 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3609 का सवाल है, उस रिट याचिका में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिनांक 13.02.2007 के निर्देशों के आधार पर लोअर स्कूल पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए तैयार की गई चयन सूची को चुनौती दी गई है। जैसा कि माना गया है पहले, उपरोक्त निर्देश पूरी तरह से उचित हैं और नरेश कुमार के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हैं।"

7. लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्ति के लिए कुछ रिट याचिकाकर्ताओं के दावों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वे 55% योग्यता कोटा में असफल होने के कारण 35% कोटा में सूची बी-1 पर लाए जाने पर विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। कुछ रिट याचिकाकर्ताओं के दावों

को सूची बी-1 में लाने के कारण खारिज कर दिया गया है। 35% कोटा के तहत इस आधार पर कि चयन के वर्ष के जनवरी के 1 दिन तक उनकी आयु 35 वर्ष से कम थी। कुछ मामलों में, दिनांक 13.02.2007 के डीजीपी निर्देशों के संदर्भ में न्यूनतम 31 बेंच अंक प्राप्त न करने के कारण दावों को खारिज कर दिया गया है। नरेश कुमार के मामले (सुप्रा) में, माननीय डिवीजन बेंच ने 55% और 35% कोटा दोनों में कांस्टेबलों की पात्रता पर विचार करने का फैसला सुनाया। यह निर्णय अंतिम रूप ले चुका है। एसएलपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। उक्त निर्णय का अनुपात हवा सिंह के मामलों (सुप्रा) के साथ-साथ कांस्टेबल धर्मबीर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2009 (1) आरएसजे, 310 में भी दोहराया गया है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:-

> "13. इसलिए विचार के लिए पात्रता के लिए अपनी-अपनी योग्यताओं और आवश्यकताओं के साथ तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं। किसी भी श्रेणी में एक कांस्टेबल पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है यदि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है यानी यदि वह तीनों श्रेणियों में पात्र है तो उसके पास किसी भी श्रेणी में विचार करने पर कोई रोक नहीं है। सभी तीन श्रेणियों में विचार करने का वैधानिक अधिकार। नियम किसी भी श्रेणी के तहत पात्रता के लिए कुछ न्यूनतम आयु को वर्गीकृत या आवश्यक नहीं करते हैं। यह जो निर्दिष्ट करता है वह एक विशेष श्रेणी के तहत विचार के लिए ऊपरी आयु सीमा है।

इन निर्देशों के बावजूद, यहां ऊपर उल्लिखित कुछ मुद्दे फिर से सामने आए हैं। 35% कोटा के लिए सूची बी-1 में लाने के लिए 35 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित विवाद, धर्मबीर के मामले (सुप्रा) और बलराज सिंह और अन्य बनाम में इस न्यायालय की एक अन्य

डिवीजन बेंच द्वारा फिर से विचार के लिए आया। हरियाणा राज्य और अन्य, 2009 (2) आरएसजे 463। धर्मबीर का मामला (सुप्रा), में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार आयोजित किया:

"17..... दोनों उप-नियमों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि नियमों के तहत केवल ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की गई है और कोई न्यूनतम आयु भी निर्धारित नहीं की गई है उप-नियम 2(1) या उप-नियम 2 (ii) के तहत, जिसका अर्थ है कि यदि कोई कांस्टेबल ऊपरी आयु की आवश्यकता और उनमें से प्रत्येक के तहत निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता है, तो उसके विचार पर कोई रोक नहीं है। कांस्टेबल, जो नियम 13.7 (2) (i) के तहत एक श्रेणी में पात्र है, उसे नियम 13.7 के तहत अन्य श्रेणी में भी माना जा सकता है,

(2) (ii) पंजाब पुलिस नियमों के अनुसार, जहां तक न्यूनतम आयु के संबंध में पात्रता का सवाल है, नियमों के बीच कोई विभाजन नहीं है क्योंकि कोई भी नियम निर्धारित नहीं है।

18. न्यूनतम आयु यदि कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से निर्धारित की गई है; यह कांस्टेबलों के हितों के खिलाफ होगा, जो अन्यथा वैधानिक नियमों के तहत पात्र हैं। नियम 13.7 (2)-(ii) एक अधिकार प्रदान करता है जो एक कांस्टेबल को सेवा में उसकी वरिष्ठता के आधार पर प्राप्त होता है। जब भी उसकी बारी आती है तो वरिष्ठता के आधार पर विचार करने का अधिकार उसे मिल जाता है। उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्यकारी निर्देशों के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह वैधानिक नियमों का उल्लंघन होगा और इसलिए टिकाऊ नहीं होगा।

22. उपरोक्त चर्चाओं से जो बात उभरकर सामने आती है वह यह है कि जिस कांस्टेबल का चयन हुआ है, उस वर्ष जनवरी के 1 दिन को 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम है और वह विचार और चयन के लिए पात्र है। पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 13.7 (2) (i) के अनुसार योग्यता के आधार पर 55% कोटा के तहत लोअर स्कूल कोर्स में प्रवेश के लिए चयनित कांस्टेबलों की सूची बी -1 में उनका नाम शामिल है और प्रतिस्पर्धी में भाग लिया है। परीक्षण (बी-1) और असफल; या कम योग्यता के कारण भर्ती पाने में असमर्थ है, वह भी नियम 13.7 (2) (ii) के अनुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर 35% कोटा के तहत विचार और चयन का दावा कर सकता है, यदि वह दोनों श्रेणियों के तहत पात्र है। "

जैसा कि ऊपर देखा गया है, जिन कांस्टेबलों ने 35% कोटा के तहत न्यूनतम 31 बेंच अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है और उनके कनिष्ठों को इस आधार पर पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया गया है कि वे बेहतर बेंच अंक के साथ अधिक मेधावी हैं। यह मुद्दा, वास्तव में, नरेश कुमार के मामले (सुप्रा) के तहत कवर किया गया है और बलराज सिंह के मामले (सुप्रा) में स्पष्ट किया गया है , जिसमें यह माना गया है कि जहां भी किसी जूनियर को लोअर स्कूल कोर्स के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, उसके दावे को नजरअंदाज कर दिया गया है। केवल उच्च बेंच अंकों के आधार पर, वरिष्ठ को पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा और उसे उस तिथि से पाठ्यक्रम उत्तीर्ण माना जाएगा जिस दिन उसके कनिष्ठ ने अर्हता प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अपनी वरिष्ठता बरकरार रखेंगे।

8. मामले का एक और पहलू भी है। पुलिस महानिदेशक के दिनांक 13.02.2007 के निर्देश केवल भावी प्रकृति के हैं। इन निर्देशों से पहले, वैधानिक नियमों के तहत कोई बेंच मार्क्स निर्धारित

नहीं किए गए थे और इस प्रकार, उन सभी कांस्टेबलों ने, जिन्होंने इन निर्देशों के जारी होने से पहले पात्रता हासिल कर ली थी, उन्हें न्यूनतम बेंच मार्क्स हासिल न करने के कारण लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। यह स्थापित कानून है कि सरकारी निर्देश वैधानिक नियमों को खारिज नहीं कर सकते। इस प्रकार, बाद में जारी किए गए इन निर्देशों के तहत निर्धारित न्यूनतम बेंच अंक हासिल नहीं करने के कारण कांस्टेबलों को प्रतिनियुक्ति के अधिकार से वंचित करने के लिए इन निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, ऐसे कांस्टेबल जो इन निर्देशों के जारी होने से पहले पात्र हो गए थे और न्यूनतम बेंच अंक हासिल नहीं करने के कारण नजरअंदाज कर दिए गए थे, उन्हें लोअर स्कूल कोर्स के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा और पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, उन्हें अपने कनिष्ठों से वरिष्ठ माना जाएगा। पहले लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्त किया गया था। दूसरे शब्दों में, सूची बी-1 में लाए जाने के लिए उनकी वरिष्ठता बरकरार रहेगी, भले ही उन्हें पाठ्यक्रम के लिए उनके कनिष्ठों की तुलना में बाद में प्रतिनियुक्त किया गया हो या उन्होंने न्यूनतम बेंच अंक हासिल नहीं किए हों।

इसी प्रकार, ऐसे कांस्टेबल जिन्हें निर्धारित बेंचमार्क से कम अंक प्राप्त करने के कारण नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो उनके कनिष्ठ भी पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्ति के हकदार हैं और इसके पूरा होने पर, वे अपने कनिष्ठों पर अपनी वरिष्ठता बनाए रखेंगे।

9. कुछ रिट याचिकाओं में, कांस्टेबलों ने पहले ही लोअर स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, लेकिन उन्हें इस आधार पर अपने कनिष्ठों से अधिक वरिष्ठता से वंचित कर दिया गया है कि कनिष्ठों के पास या तो बेहतर बेंच मार्क्स थे या उन्हें रिट याचिकाकर्ताओं की तुलना में समय से पहले पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, इन रिट याचिकाकर्ताओं को बेहतर बेंचमार्क या पात्रता के किसी अन्य आधार पर पहले से तैनात अपने कनिष्ठों से वरिष्ठ माना जाएगा। संक्षेप में, इन याचिकाओं का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:-

i) ऐसे कांस्टेबल/याचिकाकर्ता जो 55% योग्यता कोटा में असफल हो गए हैं, वे वरिष्ठता-कमरिट के सिद्धांत पर 35% कोटा के तहत सूची बी में लाए जाने पर विचार करने के हकदार हैं, बशर्ते उनके पास अपेक्षित अनुभव हो और अन्यथा नियम के तहत पात्र हों;

ii)ऐसे कांस्टेबल जिनकी आयु उनके विचार के दिन 35 वर्ष से कम थी, लेकिन 40 वर्ष से अधिक नहीं थी, वे लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्ति करके सूची बी-1 में लाने के हकदार होंगे;

iii) जिन याचिकाकर्ताओं ने 13.02.2007 के डीजीपी निर्देशों से पहले पात्रता हासिल कर ली थी, उन्हें सरकारी निर्देशों के तहत निर्धारित न्यूनतम बेंच अंकों के प्रश्न पर विचार किए बिना पाठ्यक्रम के लिए नियुक्त किया जाएगा और उनके मामलों में नियमों के तहत निर्धारित वरिष्ठता और अन्य पात्रता मानदंड पर्याप्त होंगे। पाठ्यक्रम में उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए;

iv) याचिकाकर्ता जो दिनांक 13.02.2007 के निर्देश जारी होने के बाद प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र हो गए और उन्होंने न्यूनतम बेंच अंक हासिल कर लिए हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, भले ही उनके कनिष्ठों के पास बेहतर बेंच अंक हों;

v)कांस्टेबलों की पारस्परिक वरिष्ठता कांस्टेबुलरी में उनके संबंधित जिलों में उनकी वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि ऐसे सभी मामलों में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के आधार पर, जिन्हें उपरोक्त निर्देशों द्वारा अनदेखा किया गया है। हालाँकि, कांस्टेबलों की परस्पर वरिष्ठता उपरोक्त निर्देशों द्वारा शासित नहीं होगी, जहां किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित होने के कारण वरिष्ठ को नजरअंदाज कर दिया गया था या जिन्हें लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्ति के लिए किसी अन्य अयोग्यता का सामना करना पड़ा था;

vi) याचिकाकर्ताओं की प्रतिनियुक्ति उनके संबंधित जिलों में उनकी वरिष्ठता के आधार पर और उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं के दावे पर उपरोक्त निर्देशों के आलोक में विचार किया जाए और उनकी प्रतिनियुक्ति जहां भी आवश्यक हो उपरोक्त निर्देशों के अनुसार की जाए।

इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक कनेक्टेड फ़ाइल के रिकॉर्ड पर रखी जाएगी।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा